समाहरणालय, सहरसा

(जिला भू–अर्जन कार्यालय)

–:: अधिसूचना ::–

परियोजना कमला बनाल दायाँ तटबंध के कि0मी0 91.500 से कि0मी0 96.500 एवं कि0मी0 96.500 से कि0मी0 110.480 तक विस्तारीकरण कार्य हेतु मौजा–जलई, थाना नं0–73 एवं मौजा–मनौवर, थाना नं0–74 में रकवा–35.59 एकड़ भूमि के स्थायी भू–अर्जन हेतु RFCTLARR Act-2013 की धारा–07(1), (2) एवं (3) के आलोक में इस कार्यालय ज्ञापांक–855–2/भू–अर्ज०, दिनांक–18.12.2020 द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह द्वारा, तटबंध निर्माण हेतु आद्री द्वारा समर्पित सामाजिक प्रभाव आकलन प्रतिवेदन का मूल्यांकन प्रतिवेदन समर्पित किया है।

सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन प्रतिवेदन पर विशेषज्ञ समूह द्वारा पत्रांक–335/अनु०/प०नि०वि०, दिनांक–25.02.2021 द्वारा मूल्यांकन प्रतिवेदन अपने मन्तव्य के साथ समर्पित किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

1. यह परियोजना लोक प्रयोजन के दृष्टिकोण से उचित एवं उपयोगी है।
2. ग्रामवासियों का शिकायत है कि अधिकारियों द्वारा तैयार सूची में अधिकांश भू–खण्ड सही नहीं है, जिसे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
3. ग्रामवासियों का तटबंध बनने के दौरान फसल का नुकसान हुआ है, जिसके भरपाई पर विचार करने की आवश्यकता है।
4. इस परियोजना से आबादी को बाढ़ से सुरक्षा होगी, जिससे कृषि क्षेत्र में लाभ होगा।
5. इस परियोजना के पूर्ण होने से कृषि की सहवर्त्ती गतिविधियों में वृद्धि होगी।
6. परियोजना पूर्ण होने से अतिलघु, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयाँ शुरू होगी। चित्रकारी और अन्य शिल्पकृतियाँ का सृजन होगा।
7. परियोजना पूर्ण होने से आवागमन सुविधा से क्षेत्र के लोगों को रोजगार, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह के लिए बेहतर होगा।
8. परियोजना पूर्ण होने से जमीन की दरों में वृद्धि होगी तथा सामाजिक वानिकी की संभावना बढ़ेगी।
9. इस परियोजना हेतु भू–अर्जन करने का नाकारात्मक पहलू निम्न प्रकार आक्कलित हैः–

   (क) भूखंडों की सूची पर विशेष ध्यान की आवश्यकता है ताकि प्रभावित लोगों को मुआवजा प्राप्त हो सके।

   (ख) भूमि का मुआवजा प्रभवित व्यक्तियों को ही भुगतेय हो इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

पथ निर्माण के लोक प्रयोजन हेतु भू–अर्जन करने के प्रस्ताव पर किये गये सामाजिक प्रभाव का आकलन प्रतिवेदन का मूल्यांकन करने के पश्चात विशेषज्ञ समूह की राय है कि इस अर्जन का सामाजिक मूल्य (Social cast) कम है तथा सामाजिक लाभ (Social Benifits) ज्यादा है।

अतः समुचित सरकार यह निर्णय लेती है कि भू–अर्जन हेतु प्रस्तावित 35.59 एकड़ भूमि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए सर्वथा उपयुक्त है। अधिग्रहण के उपरांत लोगों के न्यूनतम विस्थापन, आधारभूत संरचना तथा पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव एवं प्रभावित लोगों पर न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। धारा–8(3) के तहत समुचित सरकार का निर्णय पंचायत तथा जिला समाहर्ता, अनुमंडल दण्डाधिकारी एवं तहसील/अंचल अधिकारी, महिषी के कार्यालयों में स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जाय, तथा प्रभावित क्षेत्रों (मौजा–जलई, थाना नं0–73 एवं मौजा–मनौवर, थाना नं0–74) में उस ढ़ंग से जैसे कि विहित किया जाए, प्रकाशित किया जायेगा, एवं समुचित सरकार (समाहर्त्ता) के वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा।

इसकी सूचना सभी संबंधितो को दी जाय।

ह०/
समाहर्ता
सहरसा।

ज्ञापांक 975-2 /भू0अ0, सहरसा, दिनांक 15.04 /2020

प्रतिलिपि :– संबंधित विशेषज्ञ समूह के सदस्यों/अध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, महिषी को सूचनार्थ एवं सूचनापट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– तकनीकी निदेशक–सह–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, सहरसा को सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन प्रतिवेदन को जिले के वेबसाइट पर अपलोड (प्रकाशित) करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– भूमि सुधार उप समाहर्ता–सह–अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी सहरसा को सूचनार्थ एवं सूचनापट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा, सहरसा को जिला गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–2, झंझारपुर मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त के सचिव, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, भू–अर्जन निदेशालय, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

15/4/20

समाहर्त्ता,
सहरसा।

2